


बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना


पटना दिनांक 2014

जी0एस0आर0.....चूंकि कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (अधिनियम 7-1980) की धारा-9 के अधीन "सलाहकारबोर्ड" का पुनर्गठन आवश्यक है ।

अतएव, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा -9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना के मनोनयन के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री नवनीति प्रसाद सिंह (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्यायालय पटना को सलाहकारबोर्ड का अध्यक्ष तथा माननीय न्यायाधीश श्री आदित्य नारायण चतुर्वेदी (सेवानिवृत्त) एवं माननीय न्यायाधीश श्रीमति रेखा कुमारी (सेवानिवृत्त) को सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नियुक्त करते हैं एवं तदनुसार उक्त सलाहकारबोर्ड का गठन एतद् द्वारा किया जाता है ।

(प्र04-ब1-01/2008)  
बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
  
(पंकज कुमार)  
सरकार के सचिव ।

जी0एस0आर0.....9644 दिनांक...31.12.15  
का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल, बिहार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
  
सरकार के सचिव ।

120

**Govt of Bihar  
Food & Consumer Protection Deptt.**


**Notification**

G.S.R ..... Whereas, it is necessary to reconstitute the "Advisory Board" under Section -9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 (Act 7 of 1980).

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section -9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980, the Governor of Bihar is pleased to appoint Hon'ble Justice Shri Navaniti Prasad Singh, (Sitting Judge) as Chairman of the Advisory Board and Hon'ble Justice Shri Aditya Narayan Chaturvedi (Retired) and Hon'ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retired) as Members on the basis of nomination of Hon'ble Chief Justice, High Court Patna with immediate effect and accordingly the said Board is hereby reconstituted.

(Pra-04-B1-01/2008)


By order of the Governor of Bihar

  
(Pankaj Kumar)  
Secy. to the Govt.

ज्ञापांक-प्र04-ब1-01/2008 9644 /खाद्य,पटना/दिनांक 31.12.15


प्रतिलिपि: प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

कृपया प्रकाशित अधिसूचना की एक सौ प्रतियों शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावे ।

  
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र04-ब1-01/2008 9644 /खाद्य,पटना/दिनांक 31.12.15

प्रतिलिपि: महाधिवक्ता, बिहार पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागीय सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव ।